(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II-खण्ड–3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 56 / 2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 27 मार्च, 2018

विषयः– **आईटीसी (एचएस) 2017–अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय 08 के एक्जिम कोड 08081000 के तहत सेब की आयात नीति शर्तों में संशोधन।**

सा0 आ0 (अ0): समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकासं एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2017–अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय 08 के एक्जिम कोड 0808 10 00 के तहत सेबों की आयात नीति की शर्तों में निम्नलिखित संशोधन करती हैं:

एक्जिम कोड	मद विवरण	नीति	नीति शर्तें	संशोधित नीति शर्त
0808 10 00	**सेब**	**मुक्त**	**(i) दोनो समुद्री पत्तनों तथा कोलकाता , चेन्नई, मुम्बई और कोचीन में हवाई अड्डे तथा दिल्ली में भू–पत्तन तथा हवाई अड्डे के माध्यम से आयात** **(ii) सेब का आयात भारत की भू–सीमाओं के माध्यम से भी अनुमत है।**	**शून्य**

3. **इस अधिसूचना का प्रभावः**

एक्जिम कोड 08081000 के तहत शामिल मद "सेब" के आयात के लिए पत्तन प्रतिबंध को हटा दिया गया है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01 / 89 / 180 / 79 / एएम–99 / पीसी–2 / ए / ई–1863 से जारी)